

उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन

डा. विनय सिंह रावत, डा. गिरिजा रावत

सारांश:

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान, गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना तथा पुरुष एवं महिला, ग्रामीण एवं शहरी तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मतों में अंतर का अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन की जनसंख्या में अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं नैनीताल जिलों के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सम्मिलित किया गया। सुविधानुसार न्यादर्शन विधि के माध्यम से कुल 150 राजकीय विद्यालयों से 150 अध्यापकों का चयन किया गया तथा शोध उपकरण के रूप में शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शोध अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि केवल 23.12 प्रतिशत विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन पाया गया। 54.37 प्रतिशत विद्यालयों में रैंप एवं रेलिंग की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि 15.62 प्रतिशत विद्यालयों में CWSN के अनुकूल शौचालय तथा केवल 1.25 प्रतिशत विद्यालयों में पहियेदार कुर्सियों की सुविधा उपलब्ध थी। मात्र 6.87 प्रतिशत अध्यापकों को CWSN के शिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, 63.12 प्रतिशत अध्यापकों को CWSN हेतु अनुदेशन सामग्री के निर्माण तथा 60.62 प्रतिशत अध्यापकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि CWSN के प्रभावी समावेशन हेतु विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने, विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने तथा अध्यापकों को आवश्यक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना-

शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालक को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs- CWSN) को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना समावेशी एवं समानतापूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को अधिक समावेशी,

सुलभ एवं अधिकार-आधारित बनाने पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयी व्यवस्था में समान अवसर, उपयुक्त सहायता, आवश्यक संसाधन तथा अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी क्रम में वर्तमान समय में सरकार की देशव्यापी शैक्षिक योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन, सहायक उपकरण, परिवहन एवं अनुरक्षण सहायता, विशेष शिक्षकों की सेवाएँ, चिकित्सकीय एवं चिकित्सीय सहायता, शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा विद्यालयों में सुगम्यता जैसी विभिन्न व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से विविध एवं पर्वतीय राज्य में CWSN की शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि राज्य के अनेक विद्यालय दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों एवं सीमांत क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँच, परिवहन, आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा आवश्यक शैक्षिक एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में प्रवेश एवं शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु समावेशी शिक्षा का वास्तविक प्रभाव केवल नामांकन तक सीमित नहीं है; इसका मूल्यांकन बच्चों की नियमित उपस्थिति, कक्षा में सहभागिता, सीखने की उपलब्धि, सामाजिक समायोजन, आत्मविश्वास, सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया तथा विद्यालयी वातावरण की स्वीकार्यता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में विद्यालयी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याएँ देखने में आती हैं, जिनमें विद्यालय भवन एवं शौचालयों की सुगम्यता का अभाव, रैम्प एवं रेलिंग जैसी सुविधाओं की कमी, दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री का अभाव, सहायक तकनीकी उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता, विशेष शिक्षकों की कमी, सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षण की पर्याप्त जानकारी न होना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण की कठिनाई, अभिभावकों की सीमित सहभागिता तथा विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वय का अभाव प्रमुख हैं। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक दुर्गमता, विद्यालयों की दूरी तथा परिवहन की सीमित सुविधाएँ भी CWSN की नियमित विद्यालयी सहभागिता को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में सामाजिक दृष्टिकोण, दिव्यांगता से जुड़ी रूढ़ धारणाएँ तथा बच्चों की क्षमताओं के प्रति कम अपेक्षाएँ भी उनकी शैक्षिक प्रगति में बाधक होती हैं। दूसरी ओर, सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से अनेक सकारात्मक उपलब्धियाँ भी देखने को मिलती हैं। राजकीय विद्यालयों में CWSN के नामांकन में वृद्धि, सामान्य कक्षाओं में उनके सम्मिलित अध्ययन, शिक्षकों एवं सहपाठियों में संवेदनशीलता का विकास, विभिन्न प्रकार की सहायता एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्यालयी गतिविधियों में उनकी सहभागिता समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ मानी जा सकती हैं। इस संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में CWSN की शिक्षा के लिए संचालित योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का केवल दस्तावेजी स्तर पर नहीं, बल्कि विद्यालयी स्तर पर उनके वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर अध्ययन किया जाए। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति

का विश्लेषण करना तथा उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के समावेशन में विद्यमान समस्याओं की पहचान करना है। अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में CWSN के लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाएँ कितनी प्रभावी हैं, शिक्षक उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक समझते एवं पूरा करते हैं, विशेष शिक्षकों एवं अन्य सहयोगी सेवाओं की उपलब्धता कैसी है, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समावेशी दृष्टिकोण का कितना प्रयोग किया जा रहा है तथा CWSN की विद्यालयी सहभागिता पर इन व्यवस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, अध्ययन के माध्यम से विद्यालय प्रधानाचार्यों, सामान्य शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, अभिभावकों तथा स्वयं CWSN के अनुभवों एवं दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया जाएगा, जिससे क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का व्यापक चित्र प्राप्त हो सके। यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी समावेशी शिक्षा नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि नीति एवं योजनाओं में निर्धारित प्रावधान विद्यालयी स्तर पर पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुकूल वातावरण एवं प्रभावी निगरानी के साथ लागू नहीं होते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में CWSN की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन न केवल वर्तमान स्थिति को समझने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य में समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों के प्रभावी उपयोग, शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान, विद्यालयी आधारभूत संरचना को अधिक सुगम बनाने तथा CWSN के लिए अधिक प्रभावी शैक्षिक रणनीतियों के विकास हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को समझने तथा उसे अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक एवं शोधपरक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत हैं-

1. उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन करना।
2. उत्तराखंड के ग्रामीण एवं शहरी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन करना।
3. उत्तराखंड के राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना- प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया है जो निम्नवत हैं-

1. उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के मतों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं के सम्बन्ध में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. उत्तराखंड के ग्रामीण एवं शहरी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मतों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं के सम्बन्ध में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. उत्तराखंड के राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मतों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं के सम्बन्ध में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा शोध की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण विधि का चयन किया है।

प्रदत्तों के श्रोत-

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन हेतु प्रदत्तों के श्रोत के रूप में उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा नैनीताल जिले के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को शामिल किया गया है।

जनसँख्या-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसँख्या के रूप में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा नैनीताल जिलों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को लिया गया है।

न्यादर्श-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा नैनीताल जिलों के पुरुष एवं महिला अध्यापक, ग्रामीण तथा शहरी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक, तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया गया है इस प्रकार कुल 150 विद्यालयों से 150 अध्यापकों यानि प्रत्येक जिले से 50 राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों का चयन सामान्य गैर-यादृच्छिक न्यायदर्शन (सुविधानुसार) द्वारा किया गया।

उपकरण-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोध उपकरण के रूप में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

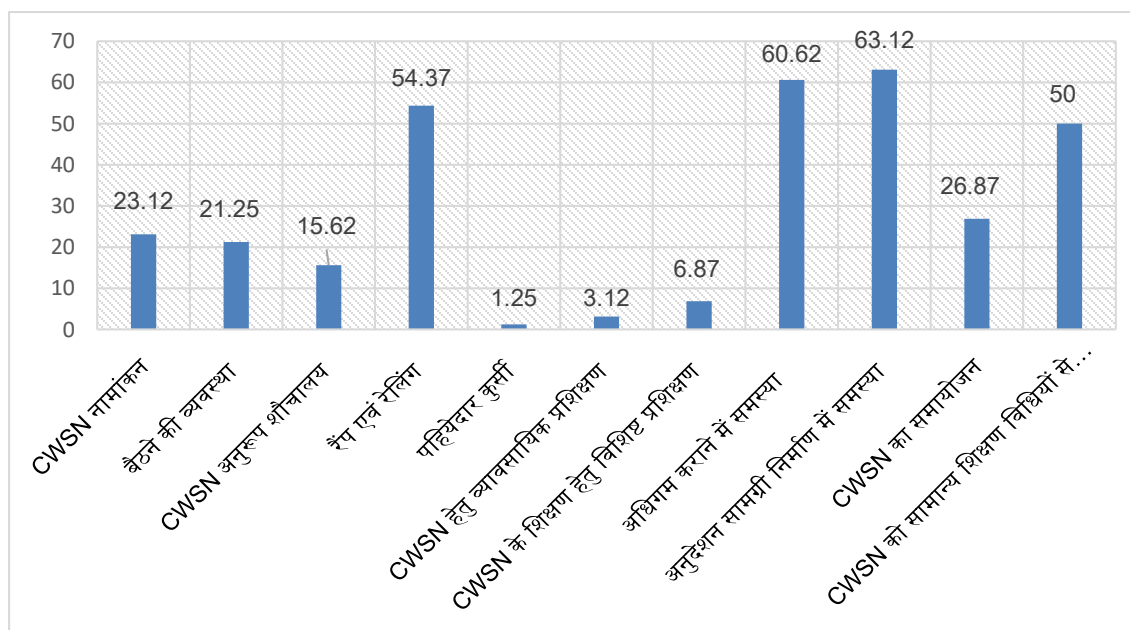
फलांकन-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध प्रश्नावली को भरने हेतु उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। प्रत्येक शोध प्रश्न के सही उत्तर पर एक अंक तथा गलत उत्तर पर शून्य अंक दिया जायेगा।

आंकड़ों का विश्लेषण-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य एवं उस पर आधारित शोध प्रश्नों के अनुसार प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण किया गया है जो निम्नवत हैं –

उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्याओं से सम्बंधित चार्ट



प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोध उद्देश्यों के आधार पर शोधकर्ता ने दो प्रकार के शोध प्रश्नों का निर्माण किया गया है, जिनमें प्रथम 7 प्रश्न तीनों जिलों के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के नामांकन एवं विशेष आवश्यकता वाले

बच्चों के समावेशन हेतु विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों से सम्बंधित हैं, तथा अन्य प्रश्न इन संसाधनों की कमी के कारण CWSN के समावेशन में अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से सम्बंधित निर्मित किये गये हैं।

अतः उपरोक्त चार्ट में प्रथम 7 प्रश्नों में अध्यापकों की प्रतिक्रिया से विदित होता है, कि 54.37 प्रतिशत विद्यालयों की भौतिक संरचनाओं में CWSN हेतु रैंप एवं रेलिंग की उपलब्धता है, जो कि अन्य संसाधनों की तुलना में सर्वाधिक हैं, तथा केवल 1.25 प्रतिशत राजकीय विद्यालयों में CWSN हेतु पहियेदार कुर्सियां उपलब्ध है, जो कि इन राजकीय विद्यालयों में सबसे कम उपलब्ध संसाधन है, जबकि केवल 23.12 प्रतिशत विद्यालयों में CWSN का नामांकन है, और मात्र 15.62 प्रतिशत विद्यालयों में CWSN के अनुरूप शौचालयों का निर्माण किया गया है, 6.87 प्रतिशत विद्यालयों के अध्यापकों को CWSN के शिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि केवल 3.12 प्रतिशत विद्यालयों में CWSN हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता दृष्टिगत होती है।

जबकि शोध अध्ययन के उद्देश्यों में 4 प्रश्न विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के समावेशन में अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से सम्बंधित शोध प्रश्न निर्मित किये गये हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रतिक्रिया 63.12 प्रतिशत राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को CWSN हेतु अनुदेशन सामग्री के निर्माण में समस्याएं आ रही हैं, 26.87 प्रतिशत विद्यालयों के शिक्षकों को CWSN को सामान्य विद्यार्थियों के साथ समायोजन कराने अलग-अलग प्रकार की समस्याएं आ रही है, 60.62 प्रतिशत विद्यालयों के शिक्षकों को CWSN के साथ शिक्षण अधिगम करने में समस्याएं आ रही है और 50 प्रतिशत विद्यालयों के अध्यापक CWSN को सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा ही शिक्षण अधिगम करा रहे हैं।

अतः शोध अध्ययन के दोनों भागों को एकीकृत रूप में अध्ययन करने पर निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि अधिकांश विद्यालयों में CWSN का नामांकन ही नहीं है तथा इन विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में कमी एवं CWSN हेतु विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण की कमी के कारण CWSN के समावेशन में अध्यापकों को अनेक प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अगली 3 तालिकाओं में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर तीनों जिलों के पुरुष एवं महिला अध्यापक, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापक तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मतों पर सार्थक अंतर काई वर्ग मान के माध्यम से प्रदर्शित की गई है।

तालिका संख्या

उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में जिलेवार पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर उनके मतों में सार्थक अंतर से सम्बंधित प्रदत्त विश्लेषण

लिंग → जिला ↓	पुरुष		महिला		Df	P मान	काई वर्ग मान	तालिका मान (0.05)
	O	E	O	E	2	0.5709	0.3212	5.991
अल्मोड़ा	30	28.23	25	26.76				
बागेश्वर	31	31.82	31	30.17				
नैनीताल	35	35.93	35	34.06				

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में जिलेवार पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर उनके मतों में सार्थक अंतर से सम्बंधित प्रदत्त विश्लेषण कर काई वर्गमान को प्रदर्शित कर रहा है, जिससे विदित होता है कि पुरुष एवं महिला अध्यापकों के मतों को 0.05 सार्थकता स्तर पर देखने पर इसका काई वर्ग मान 0.3212 प्राप्त हुआ है, जबकि df- 2 पर 0.05 सार्थकता स्तर में काई वर्ग का तालिका मान 5.991 होता है, जो कि काई वर्ग गणना मान 0.3212 से अधिक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि तीनों जिलों के विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के मतों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में पुरुष और महिला अध्यापकों को एक समान प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

तालिका संख्या 4.2.2

उत्तराखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में आने वाली समस्याओं पर आधारित मतों में सार्थक अंतर से सम्बंधित प्रदत्त विश्लेषण

क्षेत्र → जिला ↓	ग्रामीण		शहरी		Df	P मान	काई वर्ग मान	तालिका मान (0.05)
	O	E	O	E	2	0.8726	0.0257	5.991
अल्मोड़ा	27	27.34	31	30.65				
बागेश्वर	30	30.17	34	33.82				
नैनीताल	34	30.47	37	37.52				

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड के जिलेवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में आने वाली समस्याओं पर उनके मतों में सार्थक अंतर से सम्बंधित प्रदत्त विश्लेषण कर काई वर्गमान को प्रदर्शित कर रहा है, जिससे विदित होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मतों को 0.05 सार्थकता स्तर पर देखने पर इसका काई वर्ग मान 0.0257 आ रहा है, जबकि df- 2 पर 0.05 सार्थकता स्तर में काई वर्ग का तालिका मान 5.991 होता है, जो कि काई वर्ग गणना मान 0.0257 से अधिक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि तीनों जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मतों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में एक समान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

तालिका संख्या 4.2.3

उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में जिलेवार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में आने वाली समस्याओं पर उनके मतों में सार्थक अंतर से सम्बंधित प्रदत्त विश्लेषण

विद्यालय → जिला ↓	प्राथमिक		माध्यमिक		उच्च माध्यमिक		Df	P मान	काई वर्ग मान	तालिका मान (0.05)
	O	E	O	E	O	E	4	0.5322	0.3902	9.488
अल्मोड़ा	27	26.08	22	23.71	34	33.2				
बागेश्वर	27	28.6	27	26.0	37	36.4				
नैनीताल	34	33.31	31	30.28	41	42.4				

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में जिलेवार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समक्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में आने वाली समस्याओं पर उनके मतों में सार्थक अंतर से सम्बंधित प्रदत्त विश्लेषण कर काई वर्गमान को प्रदर्शित कर रहा है, जिससे विदित होता है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मतों को 0.05 सार्थकता स्तर पर देखने पर इसका काई वर्ग मान 0.3902 आ रहा है, जबकि df- 4 पर 0.05 सार्थकता स्तर में काई वर्ग का तालिका मान 9.488 होता है, जो कि काई वर्ग गणना मान 0.3902 से अधिक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के तीनों जिलों के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मतों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में विशेष

आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों कार्यरत अध्यापकों को एक समान प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष-

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के समावेशन में अध्यापकों के समक्ष आने वाली सर्वाधिक समस्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) हेतु अनुदेशन सामग्री निर्माण करने, CWSN को सामान्य विद्यार्थियों के साथ समायोजन कराने में तथा शिक्षकों को CWSN के साथ शिक्षण अधिगम करने में आ रही है। शोध अध्ययन के निष्कर्षतः पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों के अध्यापक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा ही शिक्षण अधिगम करा रहे हैं, जिससे बच्चों के शिक्षण अधिगम तथा अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के समावेशन में समस्याएं आ रही हैं। शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों में बेहद कमी दृष्टिगत हुई है, इसका कारण यह हो सकता है, कि विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के नामांकन कम होने या नही होने कारण संसाधनों को नही जुटाया होना हो सकता है, अथवा सही समय पर इनके लिए अनुदान नही मिलना भी हो सकता है। अतः विद्यालयों में CWSN के नामांकन को जन-जागरूकता रैली के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। विद्यालयों में CWSN विद्यार्थियों हेतु बुनियादी भौतिक सुविधायें जैसे पहियेदार कुर्सी, बैठने की व्यवस्था, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री एवं अन्य सहायक उपकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उपकरण, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में CWSN के शिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाय, जिसके अंतर्गत CWSN हेतु विशिष्ट अनुदेशन सामग्री के निर्माण, CWSN के अधिगम को बढ़ाने हेतु विशेष शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग, शिक्षण की विभिन्न शैलियों को सम्मिलित किया जाय, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) का सामान्य विद्यालयों में समावेशन से सम्बंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- करनगौरव ,, 2023(, ए केस स्टडी ऑफ़ समग्र शिक्षा अभियान इन :टुवर्ड्स क्वालिटेटिव एंड इंकलूसिव स्कूल एजुकेशन“
”गवर्नमेंट स्कूल इन डेल्ही, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ,
- कम्बोजसुनीता ,, 2019(, एन इवाल्यूएट स्टडी ऑफ़ सर्व शिक्षा अभियान एट एलीमेंट्री लेवल ऑफ़ गवर्नमेंट स्कूल इन “
”चंडीगढ़, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ,

- कुमार.ए. ,,) 2017(, प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता सुधार हेतु हिमांचल प्रदेश में शुरू किये गये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का “मूल्यांकनात्मक अध्ययन”, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयवाराणसी ,
- बेहरादानेश्वर ,,) 2022(,क्वालिटी एजुकेशन इन सेकेंड्री स्कूल ऑफ़ ट्राइवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ उड़ीसा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ “समग्र शिक्षा अभियान, हैदराबाद विश्वविद्यालयहैदराबाद ,
- दूबेसुनील कुमार ,,) 2024(, समग्र शिक्षा योजना की प्रक्रियाके सन्दर्भ में 2020 प्रगति एवं संभावनाओं का राष्ट्रीय शिक्षा नीति , “विश्लेषणात्मक अध्ययन, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय विहार ,
- रीनाडागर ,,) 2021(, “एन एवेल्युएट स्टडी ऑफ़ सेलेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ़ समग्र शिक्षा अभियान“, अलगप्पा विश्वविद्यालय , तमिलनाडू
- सिसोदिया) .मोनिका ,2024(, 2 क्रिटिकल स्टडी ऑफ़ द रोल ऑफ़ समग्र शिक्षा अभियान“.इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ़ 0 “स्कूल एजुकेशन, जैन विश्वविद्यालय बैंगलौर ,
- <https://www.education.gov.in/>
- <http://ssa.nic.in/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_education
- <https://ssa.uk.gov.in/hi/>
- <https://dsel.education.gov.in/en/scheme/samagra-shiksha>
- <https://educationportal.uk.gov.in/>

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.